

## अध्याय-1

### राज्य सरकार के वित्त

#### प्रस्तावना

यह अध्याय 2016-17 के दौरान हरियाणा सरकार के वित्त के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के संबंध में मुख्य राजकोषीय योगों में अवलोकित परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की **परिशिष्ट 1.2 भाग क** में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं का विन्यास **परिशिष्ट 1.2 भाग ख** में दर्शाया गया है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धतियां **परिशिष्ट 1.3** में दी गई हैं।

#### 1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा 22 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। राज्य राष्ट्रीय राजधानी के निकट स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) के संबंध में यह 21वां तथा जनसंख्या के संबंध में 18वां बड़ा राज्य है (2011 की जनगणना के अनुसार)। राज्य की जनसंख्या 19.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते 2001 में ₹ 2.11 करोड़ से बढ़कर 2011 में ₹ 2.54 करोड़ हो गई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 11.20 प्रतिशत थी जोकि 21.90 की अखिल भारतीय औसत से कम है। वर्तमान मूल्यों पर 2016-17 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 5,47,396 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 75.55 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई (**परिशिष्ट 1.1**)। वर्ष 2016-17 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,80,174<sup>1</sup> है।

#### सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

स.रा.घ.उ., आधिकारिक रूप से मान्यताप्राप्त सभी सुनिश्चित पदार्थों एवं दी गई समय अवधि में राज्य के भीतर प्रस्तुत सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर का महत्वपूर्ण सूचक है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा हरियाणा के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियां नीचे इंगित की गई हैं:

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086	1,51,83,709
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	13.91	13.28	10.78	8.71	11.84
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,47,032	4,00,662	4,37,462	4,85,184	5,47,396
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	16.63	15.45	9.18	10.91	12.82

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा तथा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय)

#### 1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सार

पिछले वर्ष (2015-16) की तुलना में चालू वर्ष (2016-17) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सार **तालिका 1.1** में दिया गया है।

<sup>1</sup> स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा।

तालिका 1.1: 2016-17 में राजकोषीय लेन-देनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
					गैर-योजनागत	योजनागत	कुल
<b>भाग-क: राजस्व</b>							
राजस्व प्राप्तियां	47,556.55	52,496.82	राजस्व व्यय	59,235.70	46,284.16	22,119.27	68,403.43
कर-राजस्व	30,929.09	34,025.68	सामान्य सेवाएं	18,713.33	21,447.06	183.73	21,630.79
कर-भिन्न राजस्व	4,752.48	6,196.09	सामाजिक सेवाएं	21,538.86	11,865.44	13,608.05	25,473.49
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	5,496.22	6,597.47	आर्थिक सेवाएं	18,690.36	12,547.72	8,327.49	20,875.21
भारत सरकार से अनुदान	6,378.76	5,677.58	सहायता अनुदान एवं अंशदान	293.15	423.94	-	423.94
<b>भाग-ख: पूंजीगत तथा अन्य</b>							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	29.98	26.27	पूंजीगत परिव्यय	6,908.33	304.30	6,558.80	6,863.10
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूतियां	328.28	973.23	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	13,250.29	68.93	4,445.98	4,514.91
लोक ऋण प्राप्तियां	37,998.43	28,169.52	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	7,214.68	-	-	5,275.84
आकस्मिक निधि	63.22	80.14	आकस्मिक निधि	63.22	-	-	80.14
लोक लेखा प्राप्तियां	29,055.78	32,107.64	लोक लेखा संवितरण	28,649.81	-	-	29,275.67
आरंभिक नकद शेष	6,507.52	6,217.73	अंतिम नकद शेष	6,217.73	-	-	5,658.26
<b>कुल</b>	<b>1,21,539.76</b>	<b>1,20,071.35</b>	<b>कुल</b>	<b>1,21,539.76</b>			<b>1,20,071.35</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

**परिशिष्ट 1.5 भाग-क** चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण प्रदान करता है।

गत वर्ष से 2016-17 के दौरान राजकोषीय संपादनों में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- कर राजस्व में ₹ 3,096.59 करोड़ (10.01 प्रतिशत) तथा कर-भिन्न राजस्व में ₹ 1,443.61 करोड़ (30.38 प्रतिशत) के अतिरिक्त भारत सरकार (भा.स.) से संघीय करों एवं शुल्कों के हिस्से में ₹ 1,101.25 करोड़ (20.04 प्रतिशत) की वृद्धि, भारत सरकार से सहायतानुदान में ₹ 701.18 करोड़ (10.99 प्रतिशत) की कमी के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियां ₹ 4,940.27 करोड़ (10.39 प्रतिशत) बढ़ गईं। ₹ 34,025.68 करोड़ का राज्य का अपना कर-राजस्व, मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) (₹ 40,199.51 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण तथा 14वें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) (₹ 47,024 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 15.36 प्रतिशत तथा 27.64 प्रतिशत तक कम पड़ गया। वर्ष 2016-17 का कर-भिन्न राजस्व (₹ 6,196 करोड़) चौ.वि.आ. (₹ 4,308 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य से 43.83 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 8,308.45 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से 25.42 प्रतिशत तक कम पड़ गया (**परिशिष्ट 1.6**)।
- 'सामान्य सेवाओं' (₹ 2,917.46 करोड़), 'सामाजिक सेवाओं' (₹ 3,934.63 करोड़) तथा 'आर्थिक सेवाओं' (₹ 2,184.85 करोड़) पर व्यय में वृद्धि और सहायता अनुदान पर

₹ 130.79 करोड़ के व्यय के कारण राजस्व व्यय ₹ 9,167.73 करोड़ (15.48 प्रतिशत) बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) (₹ 46,284.16 करोड़) तथा योजनागत राजस्व व्यय (₹ 22,119.27 करोड़) म.अ.रा.नी.वि. ₹ 48,482.76 करोड़ तथा ₹ 26,753.12 करोड़ में किए गए प्रक्षेपण से क्रमशः 4.53 प्रतिशत तथा 17.32 प्रतिशत कम था (परिशिष्ट 1.6)।

- ₹ 68,403.43 करोड़ का कुल राजस्व व्यय चौ.वि.आ. (₹ 50,334 करोड़) में मानकीय निर्धारण के विरुद्ध 35.90 प्रतिशत तक अधिक था किंतु म.अ.रा.नी.वि. (₹ 75,235.88 करोड़) के अंतर्गत किए गए प्रक्षेपण की तुलना में 9.08 प्रतिशत कम था (परिशिष्ट 1.6)।
- सामान्य सेवाओं पर कम व्यय के कारण पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में ₹ 45.23 करोड़ (0.65 प्रतिशत) की मामूली सी कमी हुई।
- 2016-17 के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 644.95 करोड़ (196.46 प्रतिशत) तक मुख्यतः बैंक को सरकारी कर्मचारियों के ऋण पोर्टफोलियो के हस्तांतरण तथा सरकारी सेवकों के ऋणों की बकाया वसूलियों के विरुद्ध ₹ 623 करोड़ की प्राप्ति के कारण बढ़ गई।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियां 2015-16 में ₹ 405.97 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 2,831.97 करोड़ हो गई।
- 2016-17 की समाप्ति पर ₹ 5,658.26 करोड़ का नकद शेष गत वर्ष से ₹ 559.47 करोड़ घट गया।

### 1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

#### हरियाणा में राजकोषीय सुधार पथ

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने तथा वित्तीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 6 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, लागू करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। भा.स. से समय-समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम को संशोधित किया गया था।

वृद्धि, राजस्व तथा राजकोषीय प्रबंधन के संबंध में चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नए लक्ष्य नियत किए गए हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु राज्य के लिए चालू कीमतों पर स.रा.घ.उ. के लिए 15.73 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रक्षेपित की है। राजकोषीय घाटा उसी अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. के 3.25 प्रतिशत पर रखे जाने की सिफारिश की गई है, जबकि राज्य की निवल उधार सीमा भी 2015-16 से आगे स.रा.घ.उ. के 3.25 प्रतिशत पर रखे जाने तथा बकाया उधार की सीमा स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 2015-16 में 19.28 प्रतिशत, 2016-17 में 19.91 प्रतिशत, 2017-18 में 20.45 प्रतिशत, 2018-19 में 20.92 प्रतिशत तथा 2019-20 में 21.33 प्रतिशत तक सीमित रखे जाने का भी सुझाव है। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिए बजट में राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे तथा बकाया उधार के लिए स.रा.घ.उ. का क्रमशः 1.10 प्रतिशत, 2.47 प्रतिशत तथा 19.55 प्रतिशत का लक्ष्य

नियत किया, उज्ज्वल डिस्कोम आश्वासन योजना (उदय) के प्रभाव के बिना जब स.रा.घ.उ. का उदय सहित 2.09 प्रतिशत, 4.27 प्रतिशत तथा 23.96 प्रतिशत था।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बजट में प्रावधान किए गए तथा राज्य के रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा लक्षित मुख्य राजकोषीय चर राशियां तालिका 1.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.2: प्रक्षेपणों से मुख्य राजकोषीय चर राशियों में भिन्नताएं

राजकोषीय चर राशियां		2016-17						
		रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविकों की भिन्नता प्रतिशतता		
						रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. के प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-)/ सरप्लस (+) (₹ करोड़ में)	उदय सहित	स.रा.घ.उ. का 2.09 प्रतिशत	(-) 12,280.35	टी.आर.आर. का 19.51 प्रतिशत	(-) 15,906	39.23	(-) 3,626 (29.53 प्रतिशत)	30.30 (55.30 प्रतिशत)
	उदय को छोड़कर	स.रा.घ.उ. का 1.10 प्रतिशत	(-) 6,441.85	टी.आर.आर. का 10.23 प्रतिशत	(-) 12,014	99.09	(-) 5,572 (86.50 प्रतिशत)	22.89 (123.75 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	उदय सहित	4.27	4.27	4.27	4.80	12.41	12.41	12.41
	उदय को छोड़कर	2.47	2.47	2.47	3.22	30.36	30.36	30.36
कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात (प्रतिशत में)	उदय सहित	23.69	23.96	23.96	26.74	12.87	11.60	11.60
	उदय को छोड़कर	19.27	19.55	19.55	22.00	14.17	12.53	12.53

वर्ष 2016-17 का राजस्व घाटा (₹ 15,906 करोड़) बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से अधिक था तथा राजकोषीय घाटा रा.उ.ब.प्र., बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. में नियत किए गए 2.47 प्रतिशत तथा 4.27 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध क्रमशः उदय स्कीम<sup>2</sup> के प्रभाव को छोड़कर स.रा.घ.उ. का 3.22 प्रतिशत तथा उदय स्कीम के साथ स.रा.घ.उ. का 4.80 प्रतिशत था।


वर्ष 2016-17 के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अनुसार स.रा.घ.उ. के 23.69 प्रतिशत तथा 19.27 प्रतिशत पर प्रक्षेपित कुल बकाया उधार क्रमशः उदय स्कीम के साथ स.रा.घ.उ. के 26.74 प्रतिशत पर उच्चतर और चालू वर्ष में उदय स्कीम के प्रभाव को छोड़कर स.रा.घ.उ. का 22 प्रतिशत था।

<sup>2</sup> राज्य सरकार ने उदय के अंतर्गत वितरण कंपनियों से 2015-16 के दौरान लिए गए ₹ 17,300 करोड़ सहित ₹ 2,595 करोड़ (सहायतानुदान: ₹ 7,785 करोड़, इन्विटी: ₹ 2,595 करोड़, ऋण: ₹ 15,570 करोड़) का उधार अपने हाथ में लिया है।

### 1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट दस्तावेज विशिष्ट वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमान प्रदान करते हैं। राजस्व एवं व्यय के अनुमान जहां तक संभव हो ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए ताकि विभिन्नताओं का विश्लेषण करके उचित कारणों का पता किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक चार्ट 1.1 में दिए गए हैं।

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय मानक: 2016-17 के वास्तविकों की तुलना में बजट अनुमान



₹ 62,956 करोड़ की लक्षित राजस्व प्राप्ति के विरुद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्ति ₹ 52,497 करोड़ (83 प्रतिशत) थी। कर राजस्व के अंतर्गत संग्रहण वैट के अंतर्गत कम प्राप्ति, जो ₹ 28,750 की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध केवल ₹ 23,488 करोड़ तथा ₹ 3,700 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस ₹ 3,283 करोड़ थी, के कारण ₹ 46,389 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध केवल ₹ 40,623 करोड़ था। कर-भिन्न प्राप्ति मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 469.25 करोड़), चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य (₹ 164.64 करोड़) शहरी विकास (₹ 151 करोड़), अलोह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग (₹ 543.05 करोड़) तथा सड़क परिवहन (₹ 599.87 करोड़) के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण ₹ 16,567 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध केवल ₹ 11,874 करोड़ (72 प्रतिशत) थी।

वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 68,403 करोड़) ₹ 75,236 करोड़ के बजट प्रावधान के भीतर था। ब्याज भुगतान (₹ 10,542 करोड़) अनुमानित प्रक्षेपण (₹ 10,490 करोड़) के अंतर्गत रखे गए थे तथा ₹ 13,546 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध पूंजीगत व्यय ₹ 6,863 करोड़ अर्थात् बहुत कम (51 प्रतिशत) था। राज्य सरकार अनुमानित राजस्व घाटा (₹ 12,280 करोड़) मेंटेन नहीं कर सकी क्योंकि यह ₹ 15,906 करोड़ (30 प्रतिशत) तक बढ़ गया। वास्तविक वित्तीय तथा प्राथमिक घाटे भी अनुमान से अधिक थे। ₹ 25,116 करोड़ के बजटीय राजकोषीय घाटे के विरुद्ध वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹ 26,285 करोड़ था। राजकोषीय घाटे में वृद्धि उदय के कार्यान्वयन के प्रभाव के कारण थी।

### 1.1.4 जेंडर बजटिंग

राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए विशिष्ट रूप से कुछ स्कीमों शुरू की हैं। उनमें से कुछ तालिका 1.3 में वर्णित हैं।

तालिका 1.3: महिलाओं के लिए स्कीमें-2016-17 के दौरान बजट अनुमान तथा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	स्कीम	अंतिम आबंटित अनुदान	वास्तविक व्यय
1.	दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए होम/स्कूल (दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए राजकीय संस्थान-सह- ब्रेल लाईब्रेरी के रूप में नया नाम दिया गया	0.20	0.14
2.	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना, जिसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के रूप में नाम दिया गया	80.18	80.18
3.	लाडली- सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम	51.23	51.23
4.	निराश्रय महिलाओं तथा विधवाओं को वित्तीय सहायता	1,101.46	1,101.46
5.	जिला स्तर पर वृद्ध, दिव्यांग तथा निराश्रय महिलाओं एवं विधवा स्टाफ को पेंशन	17.76	16.32
6.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम	3.06	3.06
7.	किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.) सबला	11.34	11.34
8.	तेजाब पीड़ित महिलाओं को राहत एवं पुनर्वास	0.06	0.06
9.	महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ई.डब्ल्यू.) के अंतर्गत विलेज कन्वर्जेंस एंड फैसिलिटेशन सर्विसिज (वी.सी.एफ.एस.) प्रोजेक्ट	0.98	0.98
10.	महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की स्थापना की स्कीम	0.16	0.16
11.	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा	0.92	0.92
12.	महिला समूह को प्रोत्साहन पुरस्कार	0.21	0.21
13.	महिला विंग का जिला एवं ब्लॉक स्तर का स्टॉफ	0.09	0.09
14.	कामकाजी महिला होस्टलों का निर्माण	0.05	0.05
15.	बालिकाओं के लिए स्टेट आफ्टर केयर होम, करनाल	0.44	0.44
16.	निराश्रय महिलाओं तथा विधवाओं के लिए गृह-सह-प्रशिक्षण केंद्र	1.62	1.62
17.	अनुसूचित जाति की महिलाओं को वित्तीय सहायता (इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना)	0.55	0.55
18.	आंगनवाड़ी वर्करज/हैल्परज के बीमा की वित्तीय सुरक्षा स्कीम	55.13	55.06
19.	हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुसूचित जातियों के परिवारों को वित्तीय सहायता	0.40	0.40
20.	लाडली (अपनी बेटी हमारी बेटी)	117.75	117.48
21.	महिला जागरूकता एवं प्रबंधन अकादमी (डब्ल्यू.ए.एम.ए.) प्लान को वित्तीय सहायता	0.20	0.20
22.	हरियाणा महिला विकास निगम तथा महिला आयोग	5.73	5.73
23.	ग्रामीण कन्याओं के लिए अवार्ड	0.58	0.58
24.	किशोरी शक्ति योजना	3.53	3.53



(स्रोत: राज्य बजट 2016-17 तथा 2016-17 के विस्तृत विनियोजन लेखे)

## 1.2 वित्त लेखे 2016-17 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो प्रवाह हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों के संघटित करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार (भा.स.) से सहायतानुदान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋणों, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से उधार प्राप्तियां तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ लोक लेखा से अर्जन शामिल होते हैं। तालिका 1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती हैं जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखाओं में दर्ज किया गया है जबकि चार्ट 1.3 2012-17 के


दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है, चार्ट 1.2 तथा चार्ट 1.4 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

चार्ट 1.2: संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)


\* निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 2,832 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 32,108 करोड़) घटा लोक लेखा सवितरण (₹ 29,276 करोड़)।



सरकार की कुल प्राप्तियां 2012-13 में ₹ 50,842 करोड़ से ₹ 33,656 करोड़ (66.20 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ 2016-17 में बढ़कर ₹ 84,498 करोड़ हो गई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां ₹ 18,863 करोड़ (56.08 प्रतिशत) तक बढ़ गई, पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 13,596 करोड़ (87.30 प्रतिशत) तक बढ़ गई और निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 1,197 करोड़ (73.21 प्रतिशत) तक बढ़ गई। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2012-13 में 66.15 प्रतिशत से 2016-17 में घटकर 62.13 प्रतिशत हो गया। 2012-17 के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियों का हिस्सा 3.22 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 3.35 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 30.63 प्रतिशत से बढ़कर 34.52 प्रतिशत हो गया।

### 1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखाओं की विवरणी 14 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं। 2012-17 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा चार्ट 1.5 में भी दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान 56.08 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राज्य का अपना राजस्व 44.43 प्रतिशत तक, भारत सरकार से सहायता अनुदान 142.65 प्रतिशत तक तथा केन्द्रीय कर अंतरण 115.45 प्रतिशत तक बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2012-13 में 83.94 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 76.62 प्रतिशत हो गया। भा.स. से सहायता अनुदान का हिस्सा 2012-13 में 6.96 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 10.82 प्रतिशत हो गया।

2007-08 से 2015-16 के दौरान 11.74 प्रतिशत तक राजस्व प्राप्तियों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (च.वा.वृ.द.) सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (14.58 प्रतिशत) से कम थी। पिछले वर्ष की 10.39 प्रतिशत से यह वृद्धि दर सामान्य श्रेणी राज्यों में 11.52 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (परिशिष्ट 1.1)। स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां तालिका 1.4 में दर्शाई गई हैं:



तालिका 1.4: स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	33,634	38,012	40,799	47,557	5,2497
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.07	13.02	7.33	16.56	10.39
आर.आर./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	9.69	9.49	9.33	9.80	9.59
<b>उत्प्लावकता अनुपात</b>					
स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता	0.61	0.84	0.80	1.52	0.81
स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य की स्वयं की कर उत्प्लावकता	0.94	0.55	0.88	1.09	0.78
राज्यों के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.65	1.53	0.91	1.39	1.04
राज्य के स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,47,032	4,00,662	4,37,462	4,85,184	5,47,396
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	16.63	15.45	9.18	10.91	12.82

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, जो 2012-13 में 10.07 प्रतिशत थी, 2016-17 में मामूली बढ़ोतरी के साथ 10.39 प्रतिशत हो गई। अपने कर-राजस्व के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2012-13 में 0.65 से 2015-16 में बढ़कर 1.39 हो गई फिर 2016-17 में घटकर 1.04 रह गई।

### 1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से संयुक्त संसाधन के संदर्भ में किया जाता है।

चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2016-17 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.5 में दी गई हैं।

तालिका 1.5: चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

	चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण	वास्तविक	(₹ करोड़ में)		
					पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण
कर-राजस्व	47,024	40,200 <sup>3</sup>	40,200	34,026	(-) 27.64	(-) 15.36	(-) 15.36
कर-भिन्न राजस्व	4,308	8,308 <sup>4</sup>	8,308	6,196	43.83	(-) 25.43	(-) 25.43

राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 27.64 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 15.36 प्रतिशत कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 43.83 प्रतिशत बढ़ गई तथा बजट अनुमानों एवं म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 25.43 प्रतिशत कम रही।

#### 1.3.1.1 कर राजस्व

करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण तालिका 1.6 में दिए गए हैं जो 2012-17 के दौरान राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को भी दर्शाते हैं।

<sup>3</sup> केन्द्रीय करों का हिस्सा छोड़कर।

<sup>4</sup> सहायता अनुदान का हिस्सा छोड़कर।

तालिका 1.6: राज्य के अपने स्रोतों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	15,376.58 (15)	16,774.33 (9)	18,993.25 (13)	21,060.23 (11)	23,488.41 (12)
राज्य उत्पाद शुल्क	3,236.48 (14)	3,697.35 (14)	3,470.45 (-6)	4,371.08 (26)	4,613.13 (6)
वाहनों पर कर	887.30 (20)	1,094.86 (23)	1,191.50 (9)	1,400.38 (18)	1,583.06 (13)
स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस	3,326.25 (19)	3,202.48 (-4)	3,108.70 (-3)	3,191.21 (3)	3,282.63 (3)
भू-राजस्व	12.98 (19)	12.42 (-4)	15.28 (23)	14.97 (-2)	16.09 (7)
माल तथा यात्रियों पर कर	470.76 (10)	497.45 (6)	527.07 (6)	554.25 (5)	594.59 (7)
अन्य कर <sup>5</sup>	248.67 (18)	287.71 (16)	328.32 (14)	336.97 (3)	4,47.77 (33)
कुल	23,559.02 (15)	25,566.60 (9)	27,634.57 (8)	30,929.09 (12)	34,025.68 (10)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2012-17 के दौरान कर राजस्व ₹ 10,446.66 करोड़ (44.43 प्रतिशत) तक बढ़ गया। 2016-17 के दौरान सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने कर राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की।

2007-08 से 2015-16 के दौरान कर राजस्व की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 13.02 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (14.80 प्रतिशत) से कम थी। पिछले वर्ष की 10.01 प्रतिशत से 2016-17 में भी यह वृद्धि दर सामान्य श्रेणी राज्यों में 13.50 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (*परिशिष्ट 1.1*)। राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 34,026 करोड़) सरकार द्वारा अपने म.अ.रा.नी.वि. (₹ 40,200 करोड़) तथा चौ.वि.आ. (₹ 47,024 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से कम था।

#### कर संग्रहण की लागत

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान प्रमुख करों के संग्रहण, उनके संग्रहण पर किए गए व्यय तथा संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता तालिका 1.7 में दी गई है, जो दर्शाते हैं कि राज्य में संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से कम है।

तालिका 1.7: करों के संग्रहण की लागत

शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत
		(₹ करोड़ में)			
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	2014-15	18,993.25	118.98	0.63	0.91
	2015-16	21,060.23	128.50	0.61	0.66
	2016-17	23,488.41	141.80	0.60	उपलब्ध नहीं
वाहनों पर कर	2014-15	1,191.50	16.76	1.41	6.08
	2015-16	1,400.38	18.72	1.34	4.99
	2016-17	1,583.06	28.57	1.80	उपलब्ध नहीं
राज्य उत्पाद शुल्क	2014-15	3,470.45	28.88	0.83	2.09
	2015-16	4,371.08	31.08	0.71	3.21
	2016-17	4,613.13	34.63	0.75	उपलब्ध नहीं
स्टाम्प एवं पंजीकरण	2014-15	3,108.70	10.37	0.33	3.59
	2015-16	3,191.21	15.37	0.48	2.87
	2016-17	3,282.63	10.50	0.32	उपलब्ध नहीं

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

<sup>5</sup> अन्य करों में, कृषि भूमि के सिवाय अचल संपत्ति पर कर, विद्युत तथा कृषि आय पर कर एवं शुल्क शामिल हैं।

### 1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

पांच वर्षों (2012-17) के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि तालिका 1.8 में दी गई है जोकि 2012-17 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.8: 2012-17 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ब्याज प्राप्तियां	1,058.21 (22)	1,090.71 (3)	933.59 (-14)	1,087.49 (16)	2,309.79 (112)
लाभांश तथा लाभ	7.05 (330)	6.49 (-8)	5.80 (-11)	15.89 (174)	5.89 (-63)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	3,607.89 (-6)	3,877.86 (7)	3,673.73(-5)	3,649.10 (-1)	3,880.41 (6)
ए) बृहद् तथा मध्यम सिंचाई	139	95	129	110	113
बी) सड़क परिवहन	1,000	1,098	1,235	1,255	1265
सी) शहरी विकास	991	1,105	861	422	599
डी) शिक्षा	385	319	564	637	640
ई) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	76	79	43	272	497
कुल	4,673.15 (-1)	4,975.06 (6)	4,613.12 (-7)	4,752.48 (3)	6,196.09 (30)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2012-17 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 1,522.94 करोड़ (32.59 प्रतिशत) बढ़ गई। कर-भिन्न राजस्व (₹ 6,196.09 करोड़) में मुख्यतः उदय स्कीम के अंतर्गत ब्याज की वसूली के कारण विद्युत कंपनियों से ब्याज प्राप्ति में वृद्धि के कारण गत वर्ष पर ₹ 1,443.61 करोड़ (30.38 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए 2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 11.80 प्रतिशत संघटित किया।

### भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण कार्य श्रमिकों के लिए कल्याण स्कीमों पर खर्च किया जाना होता है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2016 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 2,069.70 करोड़ हैं। बोर्ड ने 2015-16 के दौरान श्रमिक कल्याण स्कीमों पर मात्र ₹ 47.98 करोड़ खर्च किए।

### 1.3.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

भारत सरकार से सहायतानुदान पिछले वर्ष से 2016-17 में ₹ 701.18 करोड़ तक घट गए जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गैर-योजनागत अनुदान	851.62 (-32)	2,256.17 (165)	1,723.20 (-24)	3,744.39 (117)	3,078.49 (-18)
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	727.75 (8)	856.66 (18)	2,815.36 (229)	2,268.18 (-19)	2,327.52 (3)
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	44.32 (-13)	62.99 (42)	24.57 (-61)	27.53 (12)	34.50 (25)
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	715.56 (-9)	951.36 (33)	439.75 (-54)	338.66 (-23)	237.07 (-30)
<b>कुल</b>	<b>2,339.25</b> <b>(-15)</b>	<b>4,127.18</b> <b>(76)</b>	<b>5,002.88</b> <b>(21)</b>	<b>6,378.76</b> <b>(28)</b>	<b>5,677.58</b> <b>(-11)</b>

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए बृहद् निधियां राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित कर रही थी। भारत सरकार ने, 2014-15 से आगे, राज्य बजट के माध्यम से ये निधियां जारी करने का निर्णय किया। तथापि, भारत सरकार ने 2016-17 के दौरान राज्य के विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों/गैर-सरकारी संगठनों को ₹ 1,483.69 करोड़<sup>6</sup> सीधे अंतरित किए।

### 1.3.3 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण 2015-16 में ₹ 5,496.22 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 6,597.47 करोड़ हो गए जैसा कि तालिका 1.10 में दिया गया है।

तालिका 1.10: 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	चौ.वि.आ. की सिफारिश	2015-16 के लिए वास्तविक	2016-17 के लिए वास्तविक	भिन्नता
कारपोरेशन कर	ते.वि.आ. की	1,733.37	2,118.57	385.20
आयकर	32 प्रतिशत की	1,204.79	1,472.41	267.62
धन कर	तुलना में राज्यों को	0.40	4.85	4.45
सीमा शुल्क	केंद्रीय करों की	880.83	911.33	30.50
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	हिस्से योग्य राशि	733.13	1,040.65	307.52
सेवाकर	का 42 प्रतिशत	939.76	1,049.64	109.88
आय एवं व्यय पर अन्य कर		0.03	-	(-0.03)
उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर शुल्क		3.91	0.02	(-)3.89
<b>कुल</b>		<b>5,496.22</b>	<b>6,597.47</b>	<b>1,101.25</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चौ.वि.आ. ने केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्य का हिस्सा क्रमशः 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था। 2016-17 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 6,597.47 करोड़) अनुमानों

<sup>6</sup> 2016-17 के वित्त लेखाओं का परिशिष्ट VI

(₹ 6,188.80 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 408.67 करोड़ तथा 2015-16 की तुलना में ₹ 1,101.25 करोड़ तक अधिक था।

### 1.3.4 राज्य की समेकित निधि में राजस्व प्राप्तियां जमा न करना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन "राज्य की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि के रूप में होंगे। तेरहवें वित्त आयोग ने भी लोक व्यय को बजट से नोमिनेटिड निधियों जो विधानसभा के प्राधिकार से बाहर परिचालित की जाती हैं, को विपथित करने की प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की।

राज्य सरकार ने कृषीय उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री को बढ़ाने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत, खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं अधिसूचित बाजार क्षेत्र में प्रोसेसिंग के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के बिक्री लाभों का दो प्रतिशत की दर से एड-वालोरम आधार पर फीस (सैस) उद्गृहीत की जाती है। इस प्रकार, एकत्रित राशि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के प्रबंध करने तथा गोदामों के निर्माण के संबंध में बोर्ड द्वारा खर्च की जाती है।

निधि के अंतर्गत 2011-16 के दौरान प्राप्तियां ₹ 2,483.38 करोड़ थी तथा किया गया व्यय ₹ 2,139.19 करोड़ था। चूंकि ये निधियां वार्षिक बजट प्रस्तावों में शामिल नहीं की गई थी, विधान सभा के पास ऐसी निधियों पर नियंत्रण रखने का कोई अवसर नहीं था।

### 1.3.5 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को सहायता अनुदान

वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 के लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश को पूरा करने के लिए किए गए बजट आबंटन की तुलना में सरकारी निर्मुक्ति तथा किया गया वास्तविक व्यय तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध बजट आबंटन, सरकारी निर्मुक्ति तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

स्कीम/विभाग का नाम	2015-16			2016-17		
	बजट	सरकारी निर्मुक्ति	वास्तविक व्यय	बजट	सरकारी निर्मुक्ति	वास्तविक व्यय
शहरी विकास	199.61	86.71	135.05	427.96	429.04	301.21
राष्ट्रीय आपदा के कारण राहत-एस.डी.आर.एफ.	231.00	115.50	115.50	357.75	357.75	357.75
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	419.28	419.28	419.28	656.72	656.72	656.72
<b>कुल</b>	<b>844.89</b>	<b>621.49</b>	<b>669.83</b>	<b>1,442.43</b>	<b>1,443.51</b>	<b>1,315.68</b>

(स्रोत: वित्त विभाग, हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान स्थानीय निकायों (ग्रामीण एवं शहरी विकास) तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए केवल मूल अनुदान जारी किए। भारत सरकार ने गत वर्ष की तुलना में ₹ 822.02 करोड़ (132.27 प्रतिशत) अधिक निधियां जारी की।

₹ 1,442.43 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध भारत सरकार ने ₹ 1,443.51 करोड़ जारी किए जबकि 2016-17 के दौरान ₹ 1,315.68 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि पिछले

वर्ष से 96.42 प्रतिशत अधिक था। निधियों के व्यय की प्रतिशतता भारत सरकार द्वारा जारी किए गए तथा बजट 2016-17 में किए गए प्रावधानों से 9 प्रतिशत कम थी।

#### 1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूलियां तथा ऋणों के माध्यम से अग्रिमों की प्राप्तियां अर्थात् आंतरिक एवं भारत सरकार से तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2012-17) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के विवरण तालिका 1.12 में दिए गए हैं।

तालिका 1.12: प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूंजीगत प्राप्तियां (सी.आर.)	15,573.73	17,875.90	19,150.31	38,356.69	29,169.02
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	10.81	9.89	18.74	29.98	26.27
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	349.38	261.85	272.82	328.28	973.23
लोक ऋण प्राप्तियां	15,213.54	17,604.16	18,858.75	37,998.43	28,169.52
बाजार ऋण	9,330.00	11,446.18	13,200.00	14,099.99	15,800.00
बॉण्ड्स	0.00	0.00	0.00	17,300.00	8,650.00
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	5,158.23	4,777.60	4,102.79	4,641.45	3,412.39
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	438.40	566.60	1,251.31	1,721.40	-
अन्य ऋण	235.76	472.31	173.89	138.36	183.87
भारत सरकार से ऋण	51.15	341.47	130.76	97.23	123.26
लोक ऋण प्राप्ति से बाजार ऋण की प्रतिशतता	61.32	65.02	69.99	37.11	56.09
<b>पिछले वर्ष पर वृद्धि की दर (प्रतिशत)</b>					
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का	41	16	7	101	(-) 26
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का	19	(-) 25	7	23	179
स.रा.घ.उ. का	16.63	15.45	9.18	10.91	12.82
पूंजीगत प्राप्तियों का	41	15	7	100	(-) 24

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लोक ऋण प्राप्तियों में बाजार ऋणों का हिस्सा वित्तीय संस्थाओं तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधियों से उठाए गए कम ऋणों के कारण 2015-16 में 37.11 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 56.09 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकार ने ₹ 25,950 करोड़ (उदय स्कीम के अंतर्गत 30 सितंबर 2015 को कुल संवितरण कंपनियों की देयताओं का 75 प्रतिशत) के ऋणों को अपने पास लेने के विरुद्ध 2015-16 के दौरान ₹ 17,300 करोड़ तथा 2016-17 के दौरान ₹ 8,650 करोड़ के विद्युत बॉण्ड जारी किए।

#### 1.4.1 विनिवेश से आय

वर्ष 2016-17 के दौरान 13 सहकारी बैंकों तथा समितियों के पूंजीगत विनिवेश से निवल आय ₹ 26.27 करोड़ थी जो पिछले वर्ष (₹ 29.98 करोड़) से 12.37 प्रतिशत कम है।

#### 1.4.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां

वर्ष के दौरान ₹ 973.23 करोड़ के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की गई थी। इसमें से ₹ 106.59 करोड़ अन्य संस्था से वसूल किए गए थे तथा ₹ 866.64 करोड़ सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुनर्भुगतान किए गए थे। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ऋण

पोर्टफोलियो पंजाब नेशनल बैंक को हस्तांतरित किए हैं तथा वर्ष 2016-17 के दौरान सरकारी कर्मचारियों के ऋणों की बकाया वसूलियों के विरुद्ध ₹ 623 करोड़ वसूल किए।

31 मार्च 2016 को सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 1,858.94 करोड़ के ऋण बकाया थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 252 करोड़ वितरित किए। 2016-17 के दौरान इन ऋणों के विरुद्ध कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। 2016-17 की समाप्ति पर इन सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 2,110.94 करोड़ के ऋण बकाया थे। सरकार ने इन चीनी मिलों को ऋण इस शर्त पर वितरित किए थे कि संस्वीकृति के बारह माह पश्चात् नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर समान किस्तों पर पांच वर्षों में ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा तथा पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान की विफलता के मामले में कोई ऋण वितरित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, पूर्ववर्ती ऋणों की शर्तों का पालन सुनिश्चित किए बिना चीनी मिलों को ₹ 252 करोड़ के ऋण संस्वीकृत/वितरित किए गए थे। इस प्रकार, सहकारी चीनी मिलों को संस्वीकृत ऋणों की शर्तों का उल्लंघन निरंतर विद्यमान है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने मूलधन की वसूली के लिए ₹ 10 करोड़ की छोटी राशि का बजट प्रावधान किया है तथा ब्याज की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया किया गया है। वर्ष के दौरान कोई राशि वसूल नहीं की गई है जोकि इन चीनी मिलों के विरुद्ध बकाया ऋणों की वसूली के लिए राज्य सरकार के अपर्याप्त प्रयासों का सूचक था। राज्य सरकार ने निजी चीनी मिलों को हरियाणा में गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 40.13 करोड़ तथा 2016-17 के दौरान ₹ 65.14 करोड़ की राशि के ऋण भी संस्वीकृत किए। वर्ष के दौरान इन ऋणों के विरुद्ध कोई राशि वसूल नहीं की गई है। मूलधन की वसूली के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो इन निजी चीनी मिलों से ऋणों की वसूली की ओर राज्य सरकार का इरादा इंगित करता है।

### 1.4.3 आंतरिक स्रोतों से उधार प्राप्तियां

2016-17 के दौरान आंतरिक उधार प्राप्तियों के रूप में ₹ 28,046.26 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी जो पिछले वर्ष (₹ 37,901.20 करोड़) से ₹ 9,854.94 करोड़ (26 प्रतिशत) कम थी। बाजार ऋणों के रूप में ₹ 15,800 करोड़, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ₹ 3,596.26 करोड़ के ऋण 2016-17 के दौरान उठाए गए थे, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान उदय के अंतर्गत लिए गए संवितरण कंपनियों के ऋणों के कारण ₹ 8,650 करोड़ के बॉण्ड जारी किए गए।

### 1.4.4 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से कुल ऋण एवं अग्रिम 2015-16 में ₹ 2,048.92 करोड़ से ₹ 63.06 करोड़ घटकर 2016-17 में ₹ 1,985.86 करोड़ हो गए थे। भारत सरकार से ₹ 129.59 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए थे तथा वर्ष के दौरान ₹ 186.32 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था। वर्ष के दौरान ₹ 6.34 करोड़ के ऋण बड़े खाते डाले गए थे।

### 1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

लघु बचतों, भविष्य निधियों, रिजर्व फंडस, डिपोजिटस, सस्पेंस, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ निश्चित लेन-देनों, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते, के संबंध में प्राप्तियां एवं संवितरणों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा राज्य विधान सभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। लोकलेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राप्तियां एवं संवितरणों की प्रवृत्तियां तालिका 1.13 में दी गई हैं।

तालिका: 1.13: 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा से संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
ए) लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	2,967.99	3,034.08	1,919.35	1,919.20	1,048.64	1,114.88
बी) आरक्षित निधि	698.81	1,593.64	1,709.62	48.91	(-) 1,010.81	1,544.73
सी) जमा	17,594.40	19,488.27	17,225.13	19,490.39	369.27	(-)2.12
डी) अग्रिम	38.10	9.09	38.10	9.09	0.00	-
ई) उचित तथा विविध	562.53	848.36	544.51	731.54	18.02	116.82
एफ) प्रेषण	7,193.95	7,134.20	7,213.10	7,076.54	(-) 19.15	57.66
कुल	29,055.78	32,107.64	28,649.81	29,275.67	405.97	2,831.97


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

## 1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग, विभिन्न शीर्षों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय, वेतनों, ब्याज भुगतानों, सबसीडियों, पेंशन भुगतानों पर व्यय तथा फ्लैगशिप स्कीमों पर व्यय के अंतर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में विश्लेषित किए गए हैं।

### 1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट 1.6 गत पांच वर्षों (2012-17) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है तथा वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' दोनों के संदर्भ में इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.7 एवं 1.8 में प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पांच वर्षों (2012-17) की अवधि में कुल व्यय 79.87 प्रतिशत बढ़ गया। यह पिछले वर्ष से मात्र 0.49 प्रतिशत बढ़ा। इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय क्रमशः 79.67 प्रतिशत तथा 19.11 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2016-17 के दौरान योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय का हिस्सा 42 प्रतिशत तथा 58 प्रतिशत के अनुपात में था। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों का संवितरण भी 764.94 प्रतिशत बढ़ गया। यह वृद्धि वर्ष 2016-17 के दौरान विद्युत कंपनियों को ₹ 3,647.08 करोड़ तथा




हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को ₹ 406.87 करोड़, निजी चीनी मिलों को ₹ 65.14 करोड़ तथा विभिन्न सहकारी चीनी मिलों को ₹ 252 करोड़ की राशि के ऋणों के कारण थी।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2012-13 में 85.83 प्रतिशत से 2014-15 में 91.51 प्रतिशत तक बढ़ गया किंतु 2015-16 में 74.61 प्रतिशत तक घट गया तथा 2016-17 में 85.74 प्रतिशत तक बढ़ गया, जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2012-13 में 12.99 प्रतिशत से 2016-17 में 8.60 प्रतिशत तक घट गया जो चिंता का विषय है। संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा भी 2012-13 में 1.18 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 16.69 प्रतिशत हो गया तथा 2016-17 में 5.66 प्रतिशत तक घट गया। कुल व्यय से गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) का अनुपात 2012-13 में 64.51 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 67.73 प्रतिशत हो गया किंतु 2015-16 में 51.23 प्रतिशत तक तथा 2016-17 में 58.01 प्रतिशत तक घट गया। स.रा.घ.उ. से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2012-13 में 8.25 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 8.46 प्रतिशत हो गया।



व्यय के विभिन्न घटकों के संबंधित हिस्सों के चलन ने प्रकट किया कि ब्याज भुगतानों सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2012-13 तथा 2016-17 में 27 प्रतिशत ही रहा जबकि सामाजिक सेवाओं ने 2014-15 तक बढ़ती प्रवृत्ति किंतु 2015-16 तथा 2016-17 में कमी

दर्शाई। आर्थिक सेवाओं ने 2014-15 तक घटती प्रवृत्ति दर्शाई किंतु 2015-16 तथा 2016-17 में बढ़ गई। उसी अवधि हेतु सहायतानुदान का हिस्सा लगभग एक प्रतिशत के स्तर पर समान रहा। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जिसने विकास व्यय निरूपित किया है, भी 2012-13 तथा 2016-17 में 72 प्रतिशत ही रहा।

### 1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.14 पांच वर्षों (2012-17) के राजस्व व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.14: राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व व्यय	38,072	41,887	49,118	59,236	68,403
वृद्धि दर (प्रतिशत)	19	10	17	21	15
स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	11	10	11	12	12
गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.)	28,616	31,735	36,358	40,675	46,284
राजस्व व्यय से गै.यो.रा.व्य. की प्रतिशतता	75	76	74	69	68

2012-17 के दौरान राजस्व व्यय 10 से 21 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित वृद्धि दर के साथ ₹ 30,331 करोड़ (80 प्रतिशत) बढ़ गया किंतु 2012-15 की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. से इसकी प्रतिशतता लगभग 11 प्रतिशत पर स्थिर रही किंतु वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 12 प्रतिशत तक बढ़ गई।

राजस्व व्यय वर्ष 2015-16 में ₹ 59,236 करोड़ से 15 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में ₹ 68,403 करोड़ हो गया। मुख्यतः पेंशन एवं पुलिस सेवाओं (₹ 723.90 करोड़), ब्याज भुगतानों एवं उधार के निपटान (₹ 1,995.36 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 2,917.46 करोड़ तक बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 1,143.87 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 310.53 करोड़) तथा समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 1,329.69 करोड़), जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, शहरी विकास (₹ 874.41 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण ₹ 3,934.62 करोड़ तक बढ़ गया। अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 1,101.32 करोड़), विद्युत क्षेत्र को सब्सिडी एवं सहायता अनुदान (₹ 285.58 करोड़) तथा उद्योग एवं खनिज (₹ 255.02 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण आर्थिक सेवाओं पर व्यय ₹ 2,184.85 करोड़ तक बढ़ गया। राजस्व व्यय के गै.यो.रा.व्य. (67.66 प्रतिशत) तथा योजनागत राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) (32.34 प्रतिशत) में विघटन ने दर्शाया कि गै.यो.रा.व्य. का अनुपातिक हिस्सा यो.रा.व्य. से महत्वपूर्ण रूप से अधिक था। राजस्व व्यय में ₹ 9,167 करोड़ की कुल वृद्धि में गै.यो.रा.व्य. और यो.रा.व्य. के क्रमशः ₹ 5,609 करोड़ और ₹ 3,558 करोड़ शामिल थे। 2016-17 में ₹ 68,403 करोड़ का कुल राजस्व व्यय चौ.वि.आ. के मानकीय निर्धारण (₹ 50,334 करोड़) से अधिक था किंतु म.अ.रा.नी.वि. (₹ 69,397 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था।

2016-17 में ₹ 46,284 करोड़ का गै.यो.रा.व्य. तथा ₹ 22,119 करोड़ का यो.रा.व्य. सरकार द्वारा अपने म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपण (गै.यो.रा.व्य.: ₹ 48,482.76 करोड़ तथा यो.रा.व्य.: ₹ 26,753.12 करोड़) से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

### 1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतनों एवं मजदूरी, पेंशनों तथा सबसीडियों पर व्यय शामिल हैं। 2012-17 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.15 एवं चार्ट 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां जिसमें	11,464 (34)	11,816 (31)	14,359 (35)	15,294 (32)	17,524	17,321*
गैर-योजनागत शीर्ष	10,280	10,374	12,250	12,870	14,981	14,486
योजनागत शीर्ष**	1,184	1,442	2,109	2,424	2,543	2,835
ब्याज भुगतान	4,744 (14)	5,850 (15)	6,928 (17)	8,284 (17)	10,490	10,542 (20)
पेंशनों पर व्यय	3,636 (11)	4,169 (11)	4,602 (11)	5,413 (11)	5,640	5,659 (11)
सबसीडिज	5,454 (16)	5,681 (15)	5,693 (14)	6,899 (15)	6800	7,654 (15)
<b>कुल</b>	<b>25,298 (75)</b>	<b>27,516 (72)</b>	<b>31,582 (77)</b>	<b>35,890 (75)</b>	<b>40,454</b>	<b>41,176 (78)</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना)।

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।

\* ₹ 314.26 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।

\*\* योजनागत शीर्ष में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिये गए वेतन एवं मजदूरियां भी सम्मिलित हैं।



वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 33,207 करोड़), सरकार द्वारा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 35,441 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 2,234 करोड़ (6.30 प्रतिशत) कम था तथा राजस्व प्राप्तियों का 63 प्रतिशत उपयोग किया। चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान तथा सब्सिडी ने 2016-17 के दौरान गै.यो.रा.व्य. का लगभग 83 प्रतिशत संघटित किया।

### वेतनों पर व्यय

2012-13 से 2016-17 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय (₹ 17,321 करोड़) 51.09 प्रतिशत बढ़ गया। 2007-08 से 2015-16 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 16.31 प्रतिशत थी, जो सामान्य श्रेणी राज्यों (14.89 प्रतिशत) से अधिक थी। यह वृद्धि दर पिछले वर्ष की 13.25 प्रतिशत से सामान्य श्रेणी राज्यों में 13.06 प्रतिशत की वृद्धि दर से मामूली सी अधिक थी (परिशिष्ट 1.1)। वेतनों पर व्यय (₹ 17,006 करोड़) म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 19,311 करोड़) से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

### ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान पांच वर्ष (2012-17) की अवधि में 122.22 प्रतिशत (₹ 10,542 करोड़) बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान ₹ 2,258 करोड़ (27.25 प्रतिशत) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2012-13 में 14.10 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 20.08 प्रतिशत हो गई। 2016-17 के दौरान ब्याज भुगतान चौ.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारण (₹ 8,934 करोड़) तथा म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपणों (₹ 10,490 करोड़) से अधिक थे (परिशिष्ट 1.6)।

### सब्सिडीज़

सब्सिडीज़ पर भुगतान 2012-13 में ₹ 5,454 करोड़ से ₹ 2,200 करोड़ (40.34 प्रतिशत) बढ़कर 2016-17 में ₹ 7,654 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 14.58 प्रतिशत था। ₹ 7,654 करोड़ की कुल सब्सिडीज़ में से ₹ 6,618.71 करोड़ (86 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए था। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल सब्सिडी म.अ.रा.नी.वि. (₹ 6,800 करोड़) में प्रक्षेपण से अधिक थी (परिशिष्ट 1.6)।

सब्सिडीज़ आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं क्योंकि इनमें अप्रत्यक्ष सब्सिडीज़ शामिल नहीं होती हैं। 2016-17 के दौरान प्रदान की गई कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडीज़ तालिका 1.16 में वर्णित हैं।

तालिका 1.16: कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडीज़ के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/सब्सिडी	बजट अनुमान		व्यय
		मूल	संशोधित	
1.	किसानों के लिए हरियाणा राज्य सहाकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को ऋण	-	406.87	406.87
2.	सभी सहकारी चीनी मिलों के पुराने ऋण का समायोजन	400.00	252.00	252.00
3.	सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम दिए गए लघु अवधि ऋणों पर ब्याज की दर पर छूट	90.00	133.91	133.91
4.	स्थगित बिक्री कर/वैट की एवज में ब्याज मुक्त ऋण	20.00	70.00	70.00
5.	हरियाणा में गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने के लिए निजी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता	50.00	65.14	65.14
6.	एस.सी. सदस्यों सहित आवास सहकारी संस्थाओं को ऋण	3.50	3.50	3.50
7.	राजस्व अर्जित करने वाली स्कीमों के लिए ग्राम पंचायतों को ऋण	1.50	0.39	0.39

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

### पेंशन भुगतान

2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 5,659 करोड़) 55.64 प्रतिशत तक बढ़ गए जोकि राजस्व प्राप्तियों का 10.78 प्रतिशत था।

2016-17 में पेंशन भुगतानों पर व्यय चौ.वि.आ. द्वारा किए गए आकलनों (₹ 5,445 करोड़) से अधिक था तथा म.अ.रा.जी.वि. (₹ 5,640 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से कम था (परिशिष्ट 1.6)। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा बढ़ती हुई पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

**फलैगशिप स्कीमों/कार्यक्रम: व्यय की स्थिति**

फलैगशिप स्कीमों/कार्यक्रम, राष्ट्र के समावेशी विकास की ओर भारत सरकार की प्रतिबद्धता का संपूर्ण एवं विवेचनात्मक भाग हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा हरियाणा सरकार को, उनकी फंक्शनरीज तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा फलैगशिप स्कीमों के लिए 2016-17 के दौरान तालिका 1.17 में दर्शाई गई राशियां जारी की गई थी।

**तालिका 1.17: हरियाणा में कार्यान्वित फलैगशिप स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	आरंभिक शेष	से प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों से व्यय की प्रतिशतता
			भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	अन्य स्रोत			
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.)	94.78	0.00	196.76	0.00	291.54	160.79	55
2	एकीकृत वाटरशैड प्रबंध कार्यक्रम (ए.वा.प्र.का.)	49.97	0.00	0.00	1.35	51.32	17.84	35
3	राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका उपार्जन मिशन (रा.ग्रा.जी.मि.)	0.00	0.00	69.85	0.00	69.85	50.00	72
4	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	3.81	0.00	312.60	15.35	331.76	325.46	98
5	इन्दिरा आवास योजना	76.63	71.53	47.69	0.00	195.85	93.19	48
6	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	57.84	308.48	200.00	0.00	566.32	482.73	85
7	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	36.23	111.53	309.15	0.00	456.91	371.28	81
8	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	85.24	51.46	125.97	3.00	265.67	85.32	32
9	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	-3.38	0.00	0.00	41.82	38.44	35.51	92
10	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (ए.आ.स्ल.वि.का.)	40.52	0.00	0.00	0.00	40.52	8.18	20
11	राजीव आवास योजना (रा.आ.यो.)	33.89	0.00	0.00	0.00	33.89	27.64	82
12	निर्मल भारत अभियान (नि.भा.अ.)	28.53	63.52	39.85	0.00	131.90	57.59	43
13	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (रा.सा.स.का.)	0.00	87.61	0.00	0.00	87.61	85.31	97
14	सर्व शिक्षा अभियान	24.47	279.63	186.41	228.10	718.61	679.14	95
15	मिड-डे-मील स्कीम	49.89	152.16	115.44	0.00	317.49	225.64	71
16	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	-27.18	125.55	101.14	0.00	199.51	221.64	111
17	पूरक पोषण कार्यक्रम (पू.पो.का.)	7.60	69.51	71.98	0.00	149.09	125.98	85
	<b>कुल</b>	<b>558.84</b>	<b>1,320.98</b>	<b>1,776.84</b>	<b>289.62</b>	<b>3,946.28</b>	<b>3,053.24</b>	<b>77</b>

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा)

राज्य ने फलैगशिप स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से 2016-17 के दौरान ₹ 1,320.98 करोड़ प्राप्त किए। 2016-17 के लिए ₹ 3,946.28 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से राज्य ने ₹ 3,053.24 करोड़ (77 प्रतिशत) उपयोग किए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एकीकृत वाटरशैड प्रबंध कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका उपार्जन मिशन, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम, राजीव आवास योजना, निर्मल भारत अभियान पुनःनामकरण स्वच्छ भारत मिशन, मिड-डे मील स्कीम तथा पूरक पोषक

कार्यक्रम (एस.एन.पी.) के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की उपयोगिता 90 प्रतिशत से कम थी।

#### 1.6.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

तालिका 1.18: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17		
					बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थाएं (सहायताप्राप्त स्कूल, सहायताप्राप्त कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	1,140.09	783.66	1,809.77	1,984.67	2,178.00	2,130.56	(-) 2.18
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	1,274.01	1,120.80	744.63	1,045.99	1,595.77	1,585.77	(-) 0.63
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	882.65	1,263.49	1,192.04	1,261.94	2,263.92	2,263.80	(-)0.01
विकास अभिकरण	450.65	523.36	723.72	878.09	757.94	757.94	-
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	580.02	518.83	979.70	1010.97	1,246.34	1,117.68	(-) 10.32
अन्य संस्थाएं	320.53	329.53	656.14	4,584.31	4,764.11	4,791.39	0.57
<b>कुल</b>	<b>4,647.95</b>	<b>4,539.67</b>	<b>6,106.00</b>	<b>10,765.97</b>	<b>12,806.08</b>	<b>12,647.14</b>	<b>(-) 1.24</b>
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	12	11	12	18		18	

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित सूचना)

तालिका 1.18 इंगित करती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2012-13 में ₹ 4,647.95 करोड़ से 2016-17 के दौरान राजस्व व्यय का 18.49 प्रतिशत संघटित करते हुए ₹ 12,647.14 करोड़ तक बढ़ गई। शैक्षिक संस्थाओं (₹ 145.89 करोड़), नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं (₹ 539.78 करोड़), जिला परिषद एवं अन्य पी.आर.आई.जे. (₹ 1,001.86 करोड़) तथा अन्य संस्थाओं (₹ 207.08 करोड़) को सहायता में वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में यह ₹ 1,881.17 करोड़ (17.47 प्रतिशत) तक बढ़ गई। ₹ 12,806.08 करोड़ के अनुमानित प्रावधान के विरुद्ध ₹ 12,647.14 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। शैक्षणिक संस्थाओं, नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं, अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक सहायता में कमी की रेंज 0.01 और 10.32 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

#### 1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूलतः तीन पहलू सम्मिलित होते हैं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान) व्यय की कुशलता (प्रयोग) तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम संबंधों का आकलन)।

##### 1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उनका व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। तालिका 1.19, 2016-17 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता

एवं राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.19: 2012-13 और 2016-17 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु.व्य./ स.रा.घ.उ.	वि.व्य. #/ कु.व्य.	सा.क्षे.व्य./ कु.व्य.	पू.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2012-13	12.78	71.85	35.99	12.99	16.11	3.61
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2012-13	14.80	70.00	38.20	13.70	17.70	4.60
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2016-17	14.57	71.77	33.92	8.60	14.04	3.82
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2016-17	16.70	70.90	32.20	19.70	15.20	4.80

कु.व्य.-कुल व्यय, वि.व्य.-विकास व्यय, सा.क्षे.व्य.-सामाजिक क्षेत्र व्यय, पू.व्य.-पूंजीगत व्यय।  
# विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।  
स.रा.घ.उ. का स्रोत: 01 अगस्त 2017 को सी.एस.ओ. वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार।

#### राजकोषीय प्राथमिकता:

- हरियाणा में स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय (कु.व्य.) दोनों वर्षों अर्थात् 2012-13 तथा 2016-17 में सामान्य श्रेणी राज्यों (सा.श्रे.रा.) की तुलना में कम था।
- 2012-13 (71.85 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 (71.77 प्रतिशत) में हरियाणा में विकास व्यय पर प्राथमिकता मामूली सी कम हो गई थी तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से अधिक थी।
- कुल व्यय से सामाजिक क्षेत्र व्यय का अनुपात 2012-13 (35.99 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 (33.92 प्रतिशत) में हरियाणा में घट गया तथापि, यह सामान्य श्रेणी राज्यों से अधिक था।
- कुल व्यय से पूंजीगत व्यय का अनुपात 2012-13 (12.99 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 (8.60 प्रतिशत) में घट गया है तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से महत्वपूर्ण रूप से कम था।
- शिक्षा पर व्यय का अनुपात 2012-13 (16.11 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 (14.04 प्रतिशत) में घट गया तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से कम था।
- स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात 2012-13 (3.61 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 (3.82 प्रतिशत) में थोड़ा सा बढ़ गया तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से कम था।

#### 1.7.2 व्यय प्रयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्ष पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा कोर पब्लिक और मैरिट गुड्स के प्रावधान पर बल देना आवश्यक है। विकास व्यय आबंटन बढ़ाने के अतिरिक्त, विशेषरूप से हाल के वर्षों में उधार सर्विसिंग पर व्यय में कमी के कारण सृजित किए जा रहे फिस्कल स्पेस के दृष्टिकोण, कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से पूंजीगत व्यय का अनुपात और वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख-रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा भी व्यय प्रयोग की दक्षता प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा उतनी ही व्यय की गुणवत्ता अच्छी होगी। विकास व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं में ऋणों एवं अग्रिमों सहित राजस्व तथा पूंजीगत व्यय शामिल है। तालिका 1.20, 2012-13 से

2016-17 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय के संबंध में विकास व्यय में प्रवृत्तियों को दर्शाती है। तालिका 1.21 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए राजस्व व्यय के घटकों तथा पूंजीगत व्यय के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.20: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	31,868 (72)	32,300 (69)	36,180 (67)	59,652 (75)	65,835	57,258 (72)
क) विकास राजस्व व्यय	26,073 (59)	28,154 (60)	32,208 (60)	40,229 (51)	52,885	46,348 (58)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	5,511 (12)	3,653 (8)	3,425 (6)	6,448 (8)	8,288	6,464 (8)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	284 (1)	493 (1)	547 (1)	12,975 (16)	4,662	4,446 (6)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठकों में आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता सूचित करते हैं।)

2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान विकास व्यय 79.67 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह व्यय, जिसने कुल व्यय का 72 प्रतिशत संघटित किया, 2015-16 में ₹ 59,652 करोड़ से ₹ 2,394 करोड़ (4.01 प्रतिशत) की मामूली कमी के साथ घटकर 2016-17 में ₹ 57,258 करोड़ हो गया। विकास राजस्व व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों ने विकास व्यय का क्रमशः 81 तथा 8 प्रतिशत संघटित किया जबकि पूंजीगत व्यय का हिस्सा केवल 11 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में विद्युत परियोजनाओं को संवितरित कम ऋणों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ऋण एवं अग्रिम ₹ 8,529 करोड़ तक घट गए। ₹ 65,835 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 57,258 करोड़ था जोकि बजट अनुमान का 86.97 प्रतिशत है।

तालिका 1.21: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय-प्रयोग की कुशलता

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2015-16			2016-17		
	कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा		कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा	
		वे. व म.	प. व र.		वे. व म.	प. व र.
<b>सामाजिक सेवाएं (सा.से.)</b>						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.020	65.93	0.11	0.013	66.51	0.19
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.014	47.40	0.08	0.080	48.31	0.09
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.237	16.18	6.92	0.183	14.19	6.53
<b>कुल (सा.से.)</b>	<b>0.079</b>	<b>51.77</b>	<b>1.65</b>	<b>0.071</b>	<b>50.88</b>	<b>1.73</b>
<b>आर्थिक सेवाएं (आ.से.)</b>						
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	0.149	34.09	1.60	0.141	34.22	1.43
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.384	5.15	7.75	0.396	9.05	12.78
विद्युत एवं ऊर्जा	0.135	0.02	-*	0.153	0.02	-
परिवहन	0.437	42.75	3.51	0.360	41.38	3.33
<b>कुल (आ.से.)</b>	<b>0.228</b>	<b>11.90</b>	<b>1.43</b>	<b>0.218</b>	<b>12.50</b>	<b>1.80</b>
<b>कुल (सा.से. + आ.से.)</b>	<b>0.161</b>	<b>31.55</b>	<b>1.54</b>	<b>0.149</b>	<b>32.29</b>	<b>1.76</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

कु.व्य.: कुल व्यय; पू.व्य.: पूंजीगत व्यय; रा.व्य.: राजस्व व्यय; वे. व म.: वेतन एवं मजदूरियां; प. व र.: परिचालन एवं रख-रखाव; \* राशि नगण्य



कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2015-16 में 0.079 से 2016-17 में 0.071 तथा आर्थिक सेवाओं के लिए 2015-16 में 0.228 से 2016-17 में 0.218 कम हो गया।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2015-16 में 51.77 प्रतिशत से 2016-17 में 50.88 प्रतिशत तक थोड़ा सा घट गया। परिचालन एवं रख-रखाव पर व्यय का हिस्सा 2015-16 में 1.65 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 1.73 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2015-16 में 11.90 प्रतिशत से 2016-17 में 12.50 प्रतिशत तक बढ़ गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा भी 2015-16 में 1.43 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 1.80 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं संयुक्त के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2015-16 में 31.55 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 32.29 प्रतिशत हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा 2015-16 में 1.54 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 1.76 प्रतिशत हो गया।

## 1.8 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के बाद के फ्रेमवर्क में राज्य से अपना राजकोषीय घाटा (और उधार) न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को अप्रत्यक्ष सब्सिडीज के रूप में बजट में खर्च करने के बजाय इसके निवेशों पर पर्याप्त आमदनी कमाने और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करने और वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किए जाते हैं।

### 1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2017 के अंत पर ₹ 623.33 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली आठ सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2016-17 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 107.64 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 17 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 309.91 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 31.17 करोड़) को वहन करने के पश्चात् ₹ 233.44 करोड़ की हानि थी।

### 1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2017 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना तालिका 1.22 में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथियां 31 मार्च 2017 को पहले ही समाप्त हो चुकी थीं।

तालिका 1.22: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजट लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	मार्च 2016 तक कुल व्यय
सिंचाई	3	86.86	-	84.69
लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.)	11	203.89	-	114.48
कुल	14	290.75	-	199.17

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

दो विभागों की 14 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि मई 2014 और मार्च 2017 के मध्य थी, परन्तु ये जून 2017 तक अपूर्ण थी परिणामस्वरूप ₹ 199.17 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई।

### 1.8.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2017 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों और सहकारिताओं में ₹ 11,371.42 करोड़ निवेश किए थे (तालिका 1.23)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.098 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2012-17 के दौरान अपने उधारों पर 9.13 प्रतिशत की औसत ब्याज दर अदा की।

तालिका 1.23: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर निवेश (₹ करोड़ में)	7,240.02	7,378.87	7,500.22	9,372.44	11,332.97	11,371.42
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	7.05	6.49	5.80	15.89	6.75	5.89
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.10	0.09	0.08	0.17	0.06	0.05
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.86	9.83	9.33	8.64	9.36	8.00
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.76	9.74	9.25	8.47	9.30	7.95

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सरकार द्वारा निवेश 2012-13 से 2016-17 तक पांच वर्षों की अवधि में 57.06 प्रतिशत तक बढ़ गए, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2012-13 में ₹ 7.05 करोड़ (0.10 प्रतिशत) से 2016-17 में ₹ 5.89 करोड़ (0.05 प्रतिशत) तक घट गए। सरकार ने अपने उधारों पर 2012-17 के दौरान 8 से 9.86 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.05 और 0.17 के बीच रही। राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान ₹ 2,025.25 करोड़ के निवेश तथा ₹ 26.27 करोड़ विनिवेशित किए जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 के दौरान निवल निवेश ₹ 1,998.98 करोड़ हो गया। इनमें से ₹ 1,927.98 करोड़ चार विद्युत कंपनियों की साम्या पूंजी में निवेश किए गए थे।

₹ 7,903.70 करोड़ के कुल निवेश वाली 12 सरकारी कम्पनियों घाटे में चल रही थी और इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 29,627.74 करोड़ थी (परिशिष्ट 1.7)। तीन<sup>7</sup> विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनियों में ₹ 29,310.86 करोड़ की हानियों ने सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों का 99 प्रतिशत संघटित किया।

### 1.8.4 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किये जाते हैं। उस वर्ष, जिसके प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, तक सरकार द्वारा किये गये

<sup>7</sup> 2015-16 तक संचित हानियां: उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 15,873.06 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 13,190.61 करोड़) तथा ह.वि.उ.नि.लि. (₹ 247.19 करोड़)।

निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी पर प्रतिलाभ **परिशिष्ट 1.8** में दिए गए हैं। निम्नलिखित बिन्दु अवलोकित किए गए थे:

- सरकार द्वारा पांच उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, के अंत तक ₹ 7,430.39 करोड़ की राशि निवेश की गई थी।
- नुकसान में चल रहे दो उपक्रमों में से हरियाणा रोडवेज सात वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चल रहा था और कृषि विभाग (बीज डिपो योजना) ने पिछले 28 वर्षों से अपने प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए थे।
- ₹ 774.86 करोड़ के कुल निवेश के विरुद्ध दो<sup>8</sup> विभागीय उपक्रमों की निवल हानियां ₹ 295.55 करोड़ थी।

### 1.8.5 सार्वजनिक निजी साझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना का पर्याप्त विकास उपलब्ध कराने के विचार से, जो आर्थिक वृद्धि कायम रखने के लिए पूर्व अपेक्षित है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी (सा.नि.सां.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2017 को ₹ 8,288.96 करोड़ की कुल अनुमानित लागत के साथ 12 सा.नि.सां. परियोजनाएं (**परिशिष्ट 1.9**) कार्यान्वयन अधीन थी।

### 1.8.6 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही थी। **तालिका 1.24**, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में 31 मार्च 2017 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.24: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत की प्रमाणा	2014-15	2015-16	2016-17	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	4,002	4,572		17,494
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	843	13,250	4,729	4,515
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	273	328	688	973
<b>अन्त शेष</b>	<b>4,572</b>	<b>17,494</b>		<b>21,036</b>
बकाया शेष जिसके लिए नियम व शर्तें निर्धारित की गई हैं	4,572	5,187		4,667
निवल बढ़ोतरी	570	12,922	4,041	3,542
ब्याज प्राप्तियां	40	47	1,305	1,213
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.93	0.43	6.77	6.30
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान	7.83	6.86	7.45	7.20
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच अन्तर (प्रतिशत)	6.90	6.43	0.68	0.90

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

<sup>8</sup> कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम): ₹ 0.01 करोड़ तथा हरियाणा रोडवेज: ₹ 295.54 करोड़।

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 3,542 करोड़ की निवल बढ़ोतरी के कारण 31 मार्च 2017 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 21,036 करोड़ थे। ₹ 1,858.90 करोड़ की राशि के ऋण वर्ष 2016-17 के आरंभ में सहकारी शुगर मिलों के विरुद्ध बकाया थे। आगे, इन शुगर मिलों को ₹ 252 करोड़ के कुल ऋण दिए गए थे। जबकि, ₹ 3,647.08 करोड़ के ऋण वर्ष 2016-17 के दौरान विद्युत परियोजनाओं को दिए गए थे, 31 मार्च 2016 को बकाया ₹ 13,230.51 करोड़ के पिछले ऋणों के विरुद्ध केवल ₹ 68.09 करोड़ वसूल किए गए थे। विद्युत कंपनियों (₹ 12,266.83 करोड़ तथा ₹ 3,589.59 करोड़) तथा प्राइवेट शुगर मिल (₹ 105.27 करोड़) तथा हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (₹ 406.87 करोड़) को 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान संवितरित ऋण के निबंधन एवं शर्तें अंतिमकृत नहीं की गई थी। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 257.12 करोड़ का ब्याज भुगतान वित्तीय पुनर्संरचना प्लान (वि.पु.प्ला.) के अंतर्गत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पक्ष में किया गया था।

### 1.8.7 नकद शेष और नकद शेषों का निवेश

वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के नकद शेषों और नकद शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 1.25 में दिए गए हैं।

तालिका 1.25: नकद शेष और नकद शेष के निवेश का विवरण

	(₹ करोड़ में)	
	01 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2017 को अंत शेष
<b>(ए) सामान्य नकद शेष</b>		
रिजर्व बैंक में जमा	(-) 733.94	426.19
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
<b>कुल</b>	<b>(-) 733.40</b>	<b>426.73</b>
नकद शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	4,173.12	2,554.85
<b>कुल (ए)</b>	<b>3,439.72</b>	<b>2,981.58</b>
<b>(बी) अन्य नकद शेष तथा निवेश</b>		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यानि लोक निर्माण विभाग अधिकारी, वन विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टरज	2.68	2.92
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.11	0.12
चिन्हित निधियों का निवेश	2,775.22	2,673.64
<b>कुल (बी)</b>	<b>2,778.01</b>	<b>2,676.68</b>
<b>कुल योग (ए) + (बी)</b>	<b>6,217.73</b>	<b>5,658.26</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2016-17 के दौरान रोकड़ शेष ₹ 6,217.73 करोड़ से घटकर ₹ 5,658.26 करोड़ हो गया। रोकड़ शेषों में से किए गए निवेश ₹ 4,173.12 करोड़ से घटकर ₹ 2,554.85 करोड़ हो गए। चिन्हित शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2016 को ₹ 2,775.22 करोड़ से ₹ 101.58 करोड़ घटकर 31 मार्च 2017 को ₹ 2,673.64 करोड़ हो गए। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में कमी (₹ 335.14 करोड़) थी तथा समेकित सिंकिंग फंड (₹ 124.10 करोड़) एवं गारंटी रिडेम्पशन फंड (₹ 109.46 करोड़) में वृद्धि थी। वर्ष 2016-17 के दौरान नकद शेष निवेशों से प्राप्त ₹ 161.32 करोड़ का ब्याज वर्ष 2015-16 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 186.49 करोड़) से ₹ 25.17 करोड़ तक घट गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुबंध के अनुसार सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था तथा न्यूनतम रोकड़ शेष रखने के लिए 2016-17 के दौरान कोई साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया गया था।

### 1.8.8 'चैक एवं बिल' शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

प्रमुख शीर्ष '8670' चैक एवं बिल लेन-देनों, जो आखिरकार क्लीयर किए जाने होते हैं, के आरंभिक अभिलेख मध्यस्थ लेखा शीर्ष को निरूपित करता है। वर्ष के दौरान कोई लेन-देन नहीं हुआ तथा अंतिम शेष ₹ 0.05 करोड़ रहा।

कैश बैलेंस इनवेस्टमेंट अकाउंट में वर्ष 2016-17 के आरंभ में उपलब्ध ₹ 4,173.12 करोड़ का शेष तथा ₹ 2,554.85 करोड़ के रूप में अंतिम शेष दर्शाता है कि राज्य ने नए उधार लेने से पहले अपने मौजूदा नकद शेषों का उपयोग किया था।

## 1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

### 1.9.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की वृद्धि एवं संघटन

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2017 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार गत चार वर्षों की तदनुरूपी स्थिति से तुलना करके **परिशिष्ट 1.5 (भाग क एवं ख)** में दिया गया है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधार, भा.स. से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा और रिजर्व फंड से प्राप्तियां शामिल हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

### 1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को **परिशिष्ट 1.5 भाग-ख** में प्रस्तुत किया गया है। 2012-17 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को **तालिका 1.26** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.26: 2012-13 से 2016-17 तक राजकोषीय देयताओं में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय देयता के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आंतरिक ऋण	48,680	58,143	68,797	99,660	1,22,617
केंद्र सरकार से ऋण	1,978	2,151	2,128	2,049	1,986
लोक लेखा देयताएं	14,160	15,969	17,521	19,009	21,768
<b>कुल</b>	<b>64,818</b>	<b>76,263</b>	<b>88,446</b>	<b>1,20,718</b>	<b>1,46,371</b>
वृद्धि दर	18.84	17.66	15.97	36.49	21.25
ब्याज भुगतान	4,744	5,850	6,928	8,284	10,542
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	192.72	200.63	216.78	253.84	278.82
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि से उत्प्लावकता	1.87	1.36	2.18	2.20	2.05
जी.एस.डी.पी. का अनुपात	18.68	19.03	20.22	24.88	26.74



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2012-13 में ₹ 64,818 करोड़ से मुख्यतः लोक ऋण (₹ 73,937 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 7,608 करोड़) में वृद्धि के कारण 125.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2016-17 में ₹ 1,46,371 करोड़ हो गई। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई और 2012-13 में 18.68 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 26.74 प्रतिशत हो गई। 2016-17 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.79 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 3.64 गुणा थी। वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 10,542 करोड़ (7.20 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 1,46,371 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2016-17 में म.अ.रा.नी.वि. में प्रोजेक्टिड ₹ 1,40,831 करोड़ की सीमा से अधिक थी तथा एफ.एफ.सी. के अंतर्गत स.रा.घ.उ. के 19.91 प्रतिशत के मानकीय निर्धारण के विरुद्ध उदय स्कीम के अंतर्गत लिए गए ऋण को शामिल करके 26.74 प्रतिशत एवं उदय स्कीम पर लिए गए ऋण को छोड़कर 22 प्रतिशत थी।

राज्य सरकार ने खुले बाजार ऋणों को छुड़ाने के लिए 2002 में समेकित सिंकिंग निधि स्थापित की। दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा पिछले वर्ष के अंत में बकाया खुले बाजार ऋणों का एक से तीन प्रतिशत निधि को अंशदान किया जाना अपेक्षित है।

सरकार ने 2016-17 के लिए समेकित सिंकिंग फंड को अंशदान देने के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया। अतः, वर्ष 2016-17 के दौरान निवेश पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 124.10 करोड़ की राशि को छोड़कर निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया था। कोई संवितरण नहीं किए गए थे तथा निधि में ₹ 1,641.03 करोड़ की राशि थी।

एक प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक के प्रीमियम पर खरीदी गई इन निधियों का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया था परिणामस्वरूप 2015-16 के दौरान ₹ 11.52 करोड़ तथा 2016-17 के दौरान ₹ 11.21 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इतने बड़े प्रीमियम पर निधि के निवेश के बारे में वित्त विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा मामला इंगित किया गया है, उत्तर अभी प्रतीक्षित है (अगस्त 2017)।

### 1.9.3 आरक्षित निधि

राज्य सरकार ने वित्त लेखा की विवरणी संख्या 21 में दिए गए विवरणानुसार विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित 12 आरक्षित निधियां परिचालित की। "कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि तथा खाद्यान्न आरक्षित निधि" नामक दो निष्क्रिय आरक्षित निधियां वर्ष के दौरान बंद की गई थी। विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित 10 आरक्षित निधियां थी। जिनमें से नौ निधियां सक्रिय थी तथा एक निधि (औद्योगिक विकास निधि) छः वर्षों से अपरिचालित थी।

2016-17 के प्रारंभ में रिजर्व फंड ₹ 4,707.44 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 1,593.64 करोड़ की बढ़ोतरी तथा ₹ 48.91 करोड़ के वितरण के कारण अंतिम शेष ₹ 3,162.72 करोड़ का था। अपरिचालित फंड में वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर ₹ 7.46 करोड़ का अंत शेष था।

एक प्रमुख आरक्षित निधि होने के कारण राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) में ₹ 412.57 करोड़ का आरंभिक शेष था। वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 357.75 करोड़ की राशि जारी की तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य हिस्से के रूप में ₹ 119.25 करोड़ (75:25 के अनुपात में) का अंशदान करना अपेक्षित था। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती वर्षों के बकायों सहित निधि में ₹ 995.21 करोड़ की राशि हस्तांतरित की। विभागीय अधिकारियों के पास पड़ी अव्ययित ₹ 228.19 करोड़ की राशि सहित निधि में से किए गए निवेश पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 20.84 करोड़ की राशि भी वर्ष 2016-17 के दौरान निधि को हस्तांतरित की गई थी। विभाग ने वर्ष 2016-17 के दौरान निधि से ₹ 35.17 करोड़ का व्यय किया था। ₹ 35.17 करोड़ में से ₹ 28.05 करोड़ की राशि बजट के माध्यम से व्यय की गई थी। किंतु ₹ 7.12 करोड़ की राशि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में खजाने के माध्यम से दिए जाने की बजाए निधि से बैंकों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से संवितरित की गई थी। तथापि, यह जांच नहीं की जा सकी कि व्यय अभिप्रेत प्रयोजन के लिए किया गया था। वर्ष 2016-17 के अंत में निधि ₹ 1,621.65 करोड़ पर बंद की गई थी। ₹ 1,621.65 करोड़ में से ₹ 77.43 करोड़ की राशि केवल बैंक एफ.डी.आर./बचत खाते में निवेश की गई थी तथा ₹ 1,544.22 करोड़ की शेष राशि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में राज्य सरकार के पास रोकड़ में पड़ी थी।

### 1.9.4 खन एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि

निधि हरियाणा सरकार की दिनांक 10 जुलाई 2015 की अधिसूचना द्वारा खनन क्षेत्र, सुरक्षा, संरक्षण, राज्य में खनन स्थलों के पुनर्वास और पुनरूद्धार को पर्यावरण धारणीय वृद्धि के लिए और क्षेत्र के एकोलोजी और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्यों का बीड़ा उठाने के लिए स्थापित की गई। निधि को बिना ब्याज के रिजर्व फंड के अंतर्गत खोला गया था जबकि इस पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज मिल रहा है और 31 मार्च को वर्ष के जून को समाप्त तिमाही तक वित्त विभाग द्वारा निधि में क्रेडिट किया जाता है। अधिसूचना के अनुसार खनन स्थलों के पुनरूद्धार एवं पुनर्वास पर निधि में से व्यय निधि पर पहला प्रभार रहेगा।

राज्य को भुगतान किए गए 'डेडरेंट' या 'रायल्टी' या 'संविदा धन' के 10 प्रतिशत के बराबर एक राशि पुनरूद्धार एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 'अन्य प्रभार' की प्रकृति में खनिज रियायत धारियों से प्रभारित की जाएगी और सरकार को देय राशि के अलावा ऐसे डेडरेंट या रायल्टी या संविदा धन के एवज में निधि को क्रेडिट की जाएगी।

एक वित्तीय वर्ष में डेडरेंट या रायल्टी या संविदा धन के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि के 5 प्रतिशत के बराबर एक राशि निधि में सरकारी योगदान के रूप में निधि में जमा/हस्तांतरित की जानी है।

वर्ष 2016-17 के प्रारंभ में, ₹ 14.49 करोड़ का शेष निधि में पड़ा था। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने डेडरेंट/रायल्टी/संविदा धन के लिए ठेकेदार से ₹ 74.16 करोड़ राशि और रियायत धारियों से 'अन्य प्रभारों' के तौर पर ₹ 9.03 करोड़ की राशि प्राप्त की। इस प्रकार ₹ 3.71 करोड़ (डेडरेंट के तौर पर ₹ 74.16 करोड़ का 5 प्रतिशत) और 'अन्य प्रभारों' के ₹ 9.03 करोड़ अर्थात् कुल ₹ 12.74 करोड़ निधि में हस्तांतरित किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान एम.एच.-8229-114 के अधीन निधि में ₹ 12.55 करोड़ हस्तांतरित किए हैं। अतः ₹ 0.19 करोड़ का कम योगदान है। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के प्रावधानों के उल्लंघन में समेकित निधि द्वारा बिना माध्यम के रियायत धारियों से सीधे निधि में ₹ 27.98 करोड़ की राशि क्रेडिट की गई। वर्ष के दौरान निधि से कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष 2016-17 के अंत में निधि में शेष ₹ 55.02 करोड़ था। राज्य सरकार द्वारा ब्याज का कोई समायोजन नहीं किया गया जबकि अधिसूचना में 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का प्रावधान था।

### 1.9.5 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

ऋण लेने वालों, जिनके लिए गारंटियां दी गई हैं, द्वारा ऋण वापस न करने पर गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार द्वारा गारंटियां जारी करने की अधिकतम सीमा के लिए संविधान की अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियां तालिका 1.27 में दी गई हैं।

तालिका 1.27: हरियाणा सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)					
गारंटी	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
फीस सहित गारंटियों की बकाया राशि	21,124	27,309	30,389	16,886	8,260
कुल राजस्व प्राप्तियों से गारंटी की बकाया राशि की प्रतिशतता	63	72	74	36	16

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2016-17 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के प्रति कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2017 को गारंटी फीस सहित गारंटियों की ₹ 8,260 करोड़ की बकाया राशि विद्युत (₹ 5,563 करोड़), सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 1,050 करोड़) तथा निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों (₹ 1,647 करोड़) के संबंध में थी।



सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों की ओर से जारी की गई गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को चुकाने के लिए 2003 में गारंटी रिडंपशन निधि की संरचना की। निधि के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा अनुमानित वार्षिक अथवा आवधिक अंशदानों के साथ एकत्र की गई गारंटी फीस राज्य सरकार द्वारा निधि को अंतरित की जानी अपेक्षित है। निधि का प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस निधि के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 952.88 करोड़ का शेष था (₹ 16,886 करोड़ पर पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का 5.64 प्रतिशत) जोकि निवेशित रहा। सरकार ने 2016-17 के दौरान निवेश पर अर्जित ₹ 70.06 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 39.40 करोड़ का योगदान निधि में दिया। 2016-17 के दौरान गारंटियों सहित कुल देयताएं ₹ 1,54,631 करोड़ (₹ 1,46,371 करोड़ + ₹ 8,260 करोड़) रही जोकि स.रा.घ.उ. का 28.25 प्रतिशत थी। आगे, यह देखा गया कि एक से 22 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित प्रीमियम पर खरीदी गई निधियां, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी परिणामतः 2015-16 में ₹ 4.37 करोड़ तथा 2016-17 में ₹ 12.07 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। मामला वित्त विभाग को संदर्भित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2017)।

### 1.10 ऋण प्रबंधन

तालिका 1.28 गत पांच वर्ष के राज्य सरकार के आंतरिक ऋण प्रोफाइल का टाइम सीरिज विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.28: राज्य सरकार का आंतरिक ऋण प्रोफाइल तथा प्रति व्यक्ति ऋण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	गत वर्ष पर वृद्धि की प्रतिशतता	प्रति व्यक्ति ऋण ₹ में
2012-13	39,342.83	15,509.16	6,171.45	48,680.54	9,337.71	23.73	19,166
2013-14	48,680.54	17,371.48	7,908.87	58,143.15	9,462.61	19.44	22,891
2014-15	58,143.15	18,727.99	8,073.67	68,797.47	10,654.32	18.32	27,086
2015-16	68,797.47	37,901.20	7,038.54	99,660.13	30,862.66	44.86	39,236
2016-17	99,660.13	28,046.26	5,089.52	1,22,616.87	22,956.74	23.04	48,274

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2012-13 में ₹ 39,342.83 करोड़ से ₹ 83,274 करोड़ (212 प्रतिशत) की बढ़ोतरी के साथ 2016-17 में बढ़कर ₹ 1,22,616.87 करोड़ हो गया। 2016-17 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 9,140 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

### ऋण पोषण क्षमता

सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अतिरिक्त, राज्य की ऋण पोषण क्षमता को निश्चित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह सैक्शन बकाया उधार वृद्धि की दर; ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति का अनुपात; उधार पुनर्भुगतान तथा उधार प्राप्ति; राज्य को उपलब्ध निवल उधार के संबंध में सरकार की ऋण पोषण क्षमता निर्धारित करता है। तालिका 1.29, 2012-13 से आरंभ पांच वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण पोषण क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.29: ऋण पोषण क्षमता

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरीकरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बकाया लोक उधार	50,658.27	60,293.96	70,925.30	1,01,709.05	1,24,602.73
बकाया लोक उधार की वृद्धि की दर	22.37	19.02	17.63	43.40	22.51
स.रा.घ.उ.	3,47,032	4,00,662	4,37,462	4,85,184	5,47,396
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर	16.63	15.45	9.18	10.91	12.82
स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में उधार	14.60	15.05	16.21	20.96	22.76
बकाया उधार की औसत ब्याज दर (प्रदत्त ब्याज/लोक उधार का आ.शे.+लोक उधार का अं.शे./2)	8.62	8.92	9.14	7.61	8.17
राजस्व प्राप्त से ब्याज की प्रतिशतता	11.80	13.02	14.70	13.81	17.61
ऋण प्राप्त से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	39.12	45.26	43.62	18.99	18.73
राज्य के पास उपलब्ध निवल उधार #	5,294	4,687	4,633	24,217	13,647

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

# लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण का ब्याज भुगतान का आधिक्य राज्य के पास उपलब्ध शुद्ध ऋण है।

2012-17 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के लोक उधार 145.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2012-13 में ₹ 50,658 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 1,24,603 करोड़ हो गए। 2012-13 से 2016-17 की अवधि पर वृद्धि की दर 17.63 प्रतिशत तथा 43.40 प्रतिशत के मध्य रही। लोक उधार पिछले वर्ष में 43.40 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 22.51 प्रतिशत की दर पर बढ़ गया जो कि मुख्यतः उदय के अंतर्गत सरकार द्वारा लिए गए विद्युत कंपनियों के ₹ 8,650 करोड़ (भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भाग लेने वाले लेंडर बैंकों को जारी किए गए बॉण्ड्स) की राशि के उधार लेने के कारण है।

स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर 2012-13 में 16.63 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 9.18 प्रतिशत हो गई, 2015-16 में 10.91 प्रतिशत की बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज करते हुए 2016-17 में 12.82 प्रतिशत हो गई किंतु अभी भी लोक उधार के ब्याज की औसत दर से उच्चतर थी जो कि 2012-17 की अवधि में 7.61 प्रतिशत तथा 9.14 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित है। राज्य को ऋण प्राप्त पर निर्भर करने की बजाय सुदृढ़ वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधन संघटन प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है।

राजस्व प्राप्त की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान 2012-13 में 11.80 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 17.61 प्रतिशत हो गया जो दर्शाता है कि लोक उधार पर ब्याज भुगतान बढ़ रहा था परिणामस्वरूप विकास के लिए निधियों की कम उपलब्धता थी।


उधार प्राप्त की प्रतिशतता के रूप में उधार भुगतान ने 2012-13 में 39.12 प्रतिशत से 2013-14 में 45.26 प्रतिशत तक बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई, 2014-15 में जरा सा घटकर 43.62 प्रतिशत हो गया तथा 2016-17 में 18.73 प्रतिशत रहा।

### 1.11 राजकोषीय असंतुलन

विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की सीमा को तीन मूल राजकोषीय मानक अर्थात् राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा इंगित करते हैं। यह सैक्शन, इन घाटों की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा और इन घाटों के वित्त पोषण की पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

### 1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.11 2012-17 की अवधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राजस्व घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है रा.उ.ब.प्र. के अनुसार 2011-12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना था और 2014-15 तक शून्य पर स्थिर रखा जाना था। राजस्व घाटा जो 2015-16 के दौरान ₹ 11,679 करोड़ था बढ़कर ₹ 15,906 करोड़ हो गया। किंतु राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा जो 2015-16 में क्रमशः ₹ 31,479 करोड़ तथा ₹ 23,195 करोड़ था, उदय स्कीम के अंतर्गत पिछले वर्ष (₹ 17,300 करोड़) की तुलना में 2016-17 (₹ 8,650 करोड़) के दौरान मुख्यतः जारी किए गए कम बांड के कारण क्रमशः ₹ 26,285 करोड़ तथा ₹ 15,743 करोड़ तक कम हो गया। वर्ष 2016-17 के लिए बजट में राजस्व घाटे का ₹ 12,280.35 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका तथा राजकोषीय घाटा म.अ.वि.नी.वि. में नियत किए गए 4.27 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध स.रा.घ.उ. का 4.80 प्रतिशत था (परिशिष्ट 1.6)। हालांकि, राजकोषीय घाटा उदय स्कीम के अंतर्गत लिए गए ऋण को छोड़कर भी स.रा.घ.उ. के 3.22 प्रतिशत पर वर्ष 2016-17 के लिए एफ.आर.बी.एम., म.अ.वि.नी.वि. में नियत किए गए 2.47 प्रतिशत की सीमा से अधिक था।

### 1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

तालिका 1.30 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2016-17 के दौरान राजकोषीय घाटा वित्त प्रबंध के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण तालिका 1.31 में दिए गए हैं।

तालिका 1.30: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
<b>राजकोषीय घाटे के घटक</b>	(-) 10,362	(-) 8,314	(-) 12,586	(-) 31,479	(-)26,285
1 राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 4,438	(-) 3,875	(-) 8,319	(-) 11,679	(-)15,906
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 5,751	(-) 3,925	(-) 3,697	(-) 6,878	(-)6,837
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 173	(-) 514	(-) 570	(-) 12,922	(-)3,542
<b>राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति</b>					
1 मार्केट उधार	8,574.38	10,621.36	12,372.99	13,168.29	15,358.98
2 भा.स. से ऋण	(-)75.54	173.08	(-) 22.98	(-) 78.91	(-)63.06
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	(-)91.55	28.07	707.45	1,012.11	(-)947.05
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	854.88	(-)1,186.82	(-)2,426.12	16,682.26	8,544.81
5 लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि	457.96	720.99	1,041.05	1,048.64	1,114.88
6 रिजर्व निधि	(-)39.09	2.29	38.97	70.72	1,646.31
7 जमा एवं अग्रिम	597.05	1,086.43	471.42	369.27	(-)2.12
8 उचंत एवं विविध	370.77	(-) 3948.95	1,145.54	(-) 1,583.19	1,734.84
9 प्रेषण	(-)72.60	(-) 0.25	(-) 13.89	(-) 19.15	57.66
<b>10 ओवर आल सरप्लस (-) घाटा (+)</b>	<b>10,576.26</b>	<b>7,496.20</b>	<b>13,314.43</b>	<b>30,670.04</b>	<b>27,445.25</b>
11 नकद शेष में अधिक (-) कमी (+)*	(-)214.43	(+) 817.28	(-) 728.38	(+) 809.47	(-)1,160.13
<b>12 सकल राजकोषीय घाटा</b>	<b>10,362</b>	<b>8,314</b>	<b>12,586.05</b>	<b>31,479.51</b>	<b>26,285.12</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

\* 8999-रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)।

तालिका 1.31: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजार उधार	15,800.00	441.02	15,358.98
2 भा.स. से ऋण	123.26	186.32	(-) 63.06
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	947.05	(-) 947.05
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	12,246.26	3,701.45	8,544.81
5 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,034.08	1,919.20	1,114.88
6 जमा और अग्रिम	19,488.27	19,490.39	(-) 2.12
7 रिजर्व निधियां	1,695.23	48.92	1,646.31
8 उचंत एवं विविध	98,132.84	96,398.00	1,734.84
9 प्रेषण	7,134.20	7,076.54	57.66
<b>10 समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)</b>	<b>1,57,654.14</b>	<b>1,30,208.89</b>	<b>27,445.25</b>
11 नकद शेष में वृद्धि (-) कमी (+)	Cr.733.40	Dr.426.73	(-) 1160.13
<b>12 कुल राजकोषीय घाटा</b>	<b>1,56,920.74</b>	<b>1,30,635.62</b>	<b>26,285.12</b>

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

बाजार उधारों का योगदान ₹ 15,359 करोड़ था जो कि 2015-16 में ₹ 13,168 करोड़ से ₹ 2,191 करोड़ अधिक था। घाटे को पोषित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य मुख्य उपाय, वित्तीय संस्थाओं से ऋण ₹ 8,545 करोड़, राज्य भविष्य निधि में वृद्धि (₹ 1,115 करोड़) और आरक्षित निधियों में वृद्धि (₹ 1,646 करोड़) थी।

### 1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटे में प्राथमिक घाटे के घटक एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्तों में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करते हैं। प्राथमिक घाटे के विभाजन (तालिका 1.32) से यह पता चलता है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि, जोकि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए वांछनीय है, के कारण घाटे में कितना योगदान है।

तालिका 1.32: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2012-13	33,994	33,328	5,762	522	39,612	666	(-)5,618
2013-14	38,284	36,037	3,935	776	40,748	2,247	(-) 2,464
2014-15	41,091	42,190	3,716	843	46,749	(-) 1,099	(-) 5,658
2015-16	47,915	50,952	6,908	13,250	71,110	(-) 3,037	(-) 23,195
2016-17	53,496	57,861	6,863	4,515	69,239	(-) 4,365	(-) 15,743

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

पिछले वर्ष का प्राथमिक राजस्व घाटा 2016-17 के दौरान आगे ₹ 4,365 करोड़ तक बढ़ गया क्योंकि प्राथमिक राजस्व व्यय गैर-ऋण प्राप्तिियों से तेजी से बढ़ गया। यह दर्शाता है कि गैर-ऋण प्राप्तिियां, प्राथमिक राजस्व व्यय को वहन करने में भी कम पड़ गई तथा प्राथमिक घाटा इंगित करता है कि उधार ली गई निधियां, प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग की गई थी।

### 1.12 निष्कर्ष

2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्तिियां मुख्यतः कर राजस्व ₹ 3,096.59 करोड़ (10.01 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष से ₹ 4,940.27 करोड़ (10.39 प्रतिशत) तक बढ़ गई। 2016-17 के लिए कर-राजस्व चौ.वि.आ. द्वारा नियत लक्ष्यों के 27.64 प्रतिशत तक कम पड़ गया तथा कर-भिन्न राजस्व 43.82 प्रतिशत तक बढ़ गया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 2,483.38 करोड़ की राजस्व प्राप्तिियां 2011-16 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

वर्ष के दौरान कुल व्यय में से 86 प्रतिशत राजस्व व्यय था। इसका गै.यो.रा.व्य. घटक, ₹ 46,284 करोड़ था, जो म.अ.वि.नी.वि. (₹ 48,483 करोड़) के प्रक्षेपण से 4.54 प्रतिशत कम था जिसमें से 83 प्रतिशत व्यय चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियों, पेंशन देयताओं, ब्याज भुगतानों और सब्सिडीज पर किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल सब्सिडीज (₹ 7,654 करोड़) का 86 प्रतिशत (₹ 6,619 करोड़) केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न पिछले पांच वर्षों में 0.05 तथा 0.17 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि सरकार ने अपने उधारों पर 8 से 9.86 प्रतिशत तक का औसत ब्याज भुगतान किया।

राजस्व घाटा जो 2011-12 के दौरान शून्य तक लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, 2015-16 में ₹ 11,679 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 15,906 करोड़

हो गया। अन्य राजकोषीय मानकों अर्थात् राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों में प्रवृत्तियां 2015-16 में क्रमशः ₹ 31,479 करोड़ और ₹ 23,195 करोड़ रही, 2016-17 में क्रमशः ₹ 26,285 करोड़ और ₹ 15,743 करोड़ तक कम हो गई।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2017 को ₹ 1,46,371 करोड़ थीं। राजकोषीय देयताएं स.रा.घ.उ. का 26.74 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.79 गुणा थीं।

2016-17 के अंत पर राज्य का नकद शेष निवेश लेखा ₹ 1,618.27 करोड़ तक कम हो गया तथा 5 एवं 5.5 प्रतिशत के मध्य ब्याज अर्जित किया जबकि सरकार ने 8 प्रतिशत की औसत पर उधार लिया।

सरकार के आंतरिक ऋण 2015-16 में ₹ 99,660 करोड़ से बढ़कर 2016-17 के दौरान ₹ 1,22,617 करोड़ (23.04 प्रतिशत) हो गए। 2016-17 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 9,140 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था। 2016-17 के दौरान रिसोर्स गैप निगेटिव रहा तथा प्राथमिक व्यय, उधार ली गई निधियों से आंशिक रूप से वहन किया गया था।

### 1.13 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- (i) विद्युत क्षेत्र की बेहतर कर अनुपालना तथा तर्कसंगत सब्सिडी सुनिश्चित करके कर एवं कर-भिन्न उपायों के माध्यम से गतिशील अतिरिक्त संसाधनों की संभावना खोजना;
- (ii) राज्य की समेकित निधि में सभी राजस्व प्राप्तियों को जमा करना तथा राज्य विधान सभा की स्वीकृति के बाद व्यय करना;
- (iii) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जो भारी हानियां उठा रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना तथा उनके पुनरूद्धार अथवा समापन, जैसा भी मामला हो, के लिए अनुकूल योजना बनाना; तथा
- (iv) सहकारी चीनी मिलों तथा निजी चीनी मिलों से लंबित ऋणों को वसूल करने के लिए कार्य योजना बनाना।